

समाहरणालय, बक्सर
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 12-177/सा0सु0

प्रेषक,
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।
सेवा में,
अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार पटना।

बक्सर, दिनांक...8/6...../2019

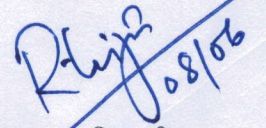
विषय :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक-630 दिनांक-30.05.2019
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि इस जिला में दिनांक 12.06.2019 से दिव्यांगजन के हितार्थ चलन्त न्यायालय का आयोजन करने का निदेश भवदीय से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में लोक सभा आम निर्वाचन 2019 की वजह से सामाजिक सुरक्षा कोषांग सहित सभी विभागों में लंबित अति आवश्यक विभागीय कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। इन कार्यों के निष्पादन में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों की व्यस्तता बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में भवदीय द्वारा आयोजित चलन्त न्यायालय का सफल आयोजन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुए चलन्त न्यायालय का आयोजन जुलाई माह के द्वितीय पखवाड़े में कराने का कष्ट किया जाय जिससे कि आयोजन का निष्पादन सफलतापूर्वक कराया जा सकें।

विश्वासभाजन



जिला पदाधिकारी,
बक्सर।